

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु. / फा.254 /

भोपाल दिनांक / 01 / 2018,

आदेश

डॉ० यशोधरा मण्डलोई, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार को दिनांक 18.05.2011 से कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 605 / 607 दिनांक 28.09.2011 द्वारा कारण बताओ नोटिस एवं द्वारा आरोप-पत्र जारी किया गया। डॉ० यशोधरा मण्डलोई द्वारा प्रतिवाद उत्तर समय अवधि में प्राप्त ना होने पर स्वास्थ्य आयुक्त, मध्य प्रदेश इनके विरुद्ध आरोपित तथ्यों की जांच हेतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (5) के अर्न्तगत विभागीय जांच संस्थित की जाती हैं।

अतः डॉ० यशोधरा मण्डलोई के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच प्रकरण में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर को जांचकर्ता अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकरण की जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन एक माह में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० जे.पी.खरे)


उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक / 4 / शिका. / अना.अनु. / फा.254 / 10 -

भोपाल दिनांक 11 / 01 / 2018,

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (जांचकर्ता अधिकारी) इन्दौर की ओर।
3. उप संचालक (विज्ञप्त) स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
4. तात्कालीन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) जिला धार की ओर भेजकर लेख है कि इस आदेश की पृष्ठांकन प्रति अपने स्तर से भी जारी कर संबंधित चिकित्सक को तामील करना सुनिश्चित कर प्राप्ती अभिस्वीकृति की छायाप्रति संचालनालय को लौटती डाक से भेजें।
5. डॉ० यशोधरा मण्डलोई, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला धार / डॉ० यशोधरा मण्डलोई, चि० अ० 3027 सेक्टर ई सुदामा नगर, इन्दौर म.प्र.पिन-452009,
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश पत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. स्टॉक फाईल।



उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::


भोपाल, दिनांक 02/01/2018

क्रमांक एफ 13-07/2013/सत्रह/मेडि-1 : इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11/08/2017 द्वारा लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 167/2012-डॉ. अशोक शर्मा, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल की विभागीय जांच में श्री उमेश कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण समिति भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी एवं डॉ. के.एल. साहू, संचालक (मलेरिया), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

2/- उल्लेखनीय है कि डॉ. अशोक शर्मा, तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल की उपरोक्त विभागीय जांच प्रकरण क्रमांक 167/2012 में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी डॉ. के.एल.साहू, संचालक, (मलेरिया) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल दिनांक 30/12/2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

3/- अतः राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. साहू के स्थान पर डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कवीन्द्र कियावत)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 13-07/2013/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 02/01/2018

- 1- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने एवं आदेश की एक प्रति डॉ. अशोक शर्मा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- श्री उमेश कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मध्यप्रदेश एड्स नियंत्रण समिति भोपाल (जांचकर्ता अधिकारी) की ओर जांच की शेष कार्यवाही पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराने बावत।
- 3- डॉ. के.एल.साहू, सेवानिवृत्त संचालक, (मलेरिया) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख दिनांक 04/01/2018 के पूर्व डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक, एन.एच.एम. को उपलब्ध करावें।
- 4- डॉ. बी.एन. चौहान, संचालक, एन.एच.एम. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 04/01/2018 के पूर्व प्रकरण से संबंधित अभिलेख डॉ. के.एल.साहू से प्राप्त कर अवगत करावें।
- 4- डॉ. अशोक शर्मा, द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग